न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं० 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 08 / 2026	2026 / 10	07.04.2026	30.04.2026

1– श्रीमती सुनीता पत्नी श्याम बहादुर जाति अहीर निवासी मकान न0 449, वार्ड न0 11, सिहोर तहसील खेतडी जिला झुन्झनु (राजस्थान) हाल काश्तकार वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार तिजारा जिला खैरथल–तिजारा।

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार तिजारा दिनाक 22.07.2025 नामान्तकरण संख्या 1860 वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा को खारिज किये जाने बाबत।

उपस्थित–
01. श्री अरविन्द यादव —वकील अपीलान्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1860 निर्णय दिनांक 22.07.2025 वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तकरण संख्या 1860 मे वर्णित हाल आराजी खसरा न0 313 रकबा 0.61 है0 का 1/6 हिस्सा यानि 0.1016 है0 वाके ग्राम हसनपुर माफी राजेन्द्र सिंह पुत्र कन्हीराम जाति अहीर निवासी ग्राम गनियार तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी, खातेदार द्वारा अपने हिस्से का बेचान जरिये रजि0 बयनामा दिनाक 22.05.2025 को समस्त प्रतिफल रकम प्राप्त कर बाकब्जा अपीलान्ट के पक्ष में उप पंजियक तिजारा के यहा निष्पादित कराया वक्त खरीद से अपीलान्ट आराजी पर बतौर सदभावी क्रेता काबिज मालिक चला हा रहा है। निष्पादित बयनामा की प्रति तहत अदालत के समक्ष पटवारी हल्का को पेश कर मुताबिक बयनामा नामान्तकरण की कार्यवाही हेतु दी गयी। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 1860 दिनाक 20.06.2025 को दर्ज किया जाकर तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते निर्णय हेतु पेश किया गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा नामान्तकरण पटवारी हल्का की विस्तृत रिपोर्ट व मौका की जॉच रिपोर्ट के अभाव में नामान्तकरण को दिनाक 22.07.2025 को खारिज कर दिया गया। तहत अदालत के द्वारा निर्णय करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 20.12.2025 को हुई। जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन किया जिसकी नकल दिनाक 20.12.2025 को प्राप्त हुई। जानकारी की दिनाक 20.12.2025 से अन्दर मियाद अपील पेश की गयी है, अपील किये जाने में जो विलम्ब हुआ है, वह उपरोक्त कारणो से हुआ है। विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनाक 24.12.2025 को पेश की गयी है, जो करीब 05 माह दिवस 02 दिवस पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है, विलम्ब के मामलो मे माननीय न्यायालय

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

...तहसील तिजारा जो

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिवादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि नामान्तकरण संख्या 1860 मे वर्णित हाल आराजी खसरा न0 313 रकबा 0.61 है0 का 1/6 हिस्सा यानि 0.1016 है0 वाके ग्राम हसनपुर माफी राजेन्द्र सिंह पुत्र कन्हीराम जाति अहीर निवासी ग्राम गनियार तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी, खातेदार द्वारा अपने हिस्से का बेचान जरिये रजि0 बयनामा दिनाक 22.05.2025 को उप पंजियक तिजारा के यहा निष्पादित कराया वक्त खरीद से अपीलान्ट आराजी पर बतौर सदभावी क्रेता काबिज मालिक चला हा रहा है। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया नामान्तकरण संख्या 1860 पटवारी हल्का द्वारा पंजीबद्व दस्तावेज संख्या 202503119101306 दिनाक 22.05.2025 के आधार पर दर्ज किया गया है, जिस पर तहत अदालत द्वारा निर्णय दिनाक 22.07.2025 के द्वारा पटवारी हल्का की विस्तृत रिपोर्ट व मौके की जॉच रिपोर्ट नही होने के कारण खारिज किया गया है, पारित निर्णय न्यायोचित नही है, अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 1860 वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा निर्णय दिनाक 22.07.2025 निरस्त किया है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहत अदालत को प्रतिप्रेषित किया जाता है, नामान्तकरण में वर्णित आराजी के बाबत जॉच कर, अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिवत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा
(राजस्थान)